

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2022—माघ 4, शक 1943

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. एफ-35-112-2015-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण एवं दुग्ध के वितरण से संबंधित समस्त सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी, कर्मचारी तथा कार्मिक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. एफ-35-112-2015-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.

Bhopal, the 24th January 2022

F. No. 35-112-2015-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashvak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from the date of publication of this order for a period of three months:—

SCHEDULE

Officials, employees and Personnel, appointed for all the services related to milk collection, processing and distribution of milk.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MEENA, Dy. Secy.